सं. 4/31/2007-डीजीएडी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

दिनांक 06 जून, 2011

<u>व्यापार नोटिस सं. 2/2011</u>

वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उपरोक्त के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 15/2011- सीमाशुल्क (एन.टी.) के साथ पठित दिनांक 06 अप्रैल, 2011 के शुद्धिपत्र के तहत नियम 23 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया हैः

"(1) अधिनियम की धारा 9 क के उपबंधों के तहत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक पाटन पर प्रति कार्रवाई करने के लिए आवश्यक हो, जिसके कारण क्षति हो रही है।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी पाटनरोधी शुल्क को आवश्यकता के अनुसार अपनी स्वयं की पहल पर अथवा किसी ऐसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को प्रमाणित करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करेंगे। यदि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद समुचित समय अवधि बीत चुकी हो और ऐसी समीक्षा के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी, जहां वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यदि कथित पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाए अथवा परिवर्तित किया जाए और इसीलिए अब इसकी आगे जरूरत नहीं है तो केंद्र सरकार उसे वापस सिफारिश करेगी।

(1ख) उप नियम (1) और 1क) में निहित किसी बात के बावजूद, अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क इसे लगाने की तारीख से 5 वर्षों की अनधिक अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि से पूर्व समीक्षा करके अपनी स्वयं की पहल पर अथवा घरेलू उद्योग अथवा उसकी ओर से उनके विधिवत प्रमाणित अनुरोध के साथ अथवा उस अवधि के समाप्त होने से एक तर्कसंगत अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाए कि उस पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

3. यह निर्णय लिया गया है कि उप नियम 23(1ख) के प्रयोजन के लिए तर्कसंगत समय अवधि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की तारीख से 90 दिनों की होगी।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निर्णायक समीक्षा जांच के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी पूर्व सभी अनुदेश और व्यापार नोटिस अधिक्रमित समझे जाएंगे।

(भारती एस. सिहाग)
संयुक्त सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में

सभी संबंधित